क्रम संख्या–130

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0

आषाढ़ 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181 / XXXVI(3) / 2014 / 39(1) / 2014

देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014"** पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2014)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और उससे सम्बद्ध और अनुसांगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 है।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

लागू होना 2. इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य निकाय के समूह 'ग' के पदों को भी आयोग की परिधि में रख सकती हैं अथवा हटा सकती है।

अपवाद 3. इस अधिनियम की कोई बात–

(क) राज्य विधान सभा के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त के अधीन,

(ड.) उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

परिभाषायें 4. जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ख) "आयोग" से, धारा 5 के अधीन गठित उत्तराखण्ड सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "अध्यक्ष" से, आयोग के अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "समूह 'ग' के पद" से, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है,

(ड.) "सदस्य" से, आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है,

(च) "सचिव" से आयोग के सचिव अभिप्रेत है,

(ज) "भर्ती का वर्ष" से, किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5. (1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।

आयोग की संरचना

6. (1) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर नियुक्त करें।

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें।

अध्यक्ष और सदस्यों की

7. अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे:

नियुक्ति

परन्तु यह कि आयोग के आधे सदस्य यथासाक्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

8. (1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी,

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का गठन करना:

(ख) सदस्यों, समितियों और उप–समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस विधेयक या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो।

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना।

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस विधेयक या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीनस्थ अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

9. (1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष के लिये पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीन द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात् कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होंगे के लिये अनर्हता

10. अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाये:

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो।

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11. आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग का सचिव

13. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14. आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

15. (1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्–

(क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग–दर्शक सिद्धान्त तैयार करना:

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना।

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना।

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायें।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य

16. आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाये।

आयोग द्वारा चयन

18. (1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोंनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियॉ करेगा।

अध्याय–पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19. आयोग की किसी बैठक ने सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति

20. आयोग की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

21. आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात
प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

22. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

23. (1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन चयन करने के लिये परीक्षायें आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिये फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम का अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

24. किसी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 181/XXXVI(3)/2014/39(1)/2014
Dated Dehradun , June 24, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission Bill 2014"** (Adhiniyam Sankhya 20 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2014.